(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी0एम0शर्मा,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0/3310/2018/रीवा/भू0रा0 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-04-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1260/अपील/2015-16

1- मुनीसिंह तनय स्व0 रामसिंह
2- कांग्रेस सिंह तनय श्री मुनीसिंह
3- सुरेश सिंह तनय श्री मुनीसिंह
4- दिनेश सिंह तनय श्री मुनीसिंह
सभी निवासी ग्राम चौखडा, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा, (म0प्र0)

--- आवेदकगण

विरूद्ध

श्री कृष्णकुमार सिंह तनय स्व0 क्षेत्रपालसिंह,
निवासी ग्राम रूनकत्ता, तहसील किरावली जिला आगरा (उ0प्र0)
द्वारा मुख्त्यार खास अजयसिंह तनय स्व0 समर बहादुर सिंह
निवासी रमागोविंद पैलेस सिरमौर चौराहा, तह0 हुजूर,
जिला रीवा (म0प्र0)

---अनावेदक

श्री देवेन्द्रसिंह, अधिवक्ता- आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अधिवक्ता- अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक २५.५.१९ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-04-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कृष्णकुमार द्वारा रा0नि0 मण्डल गढी के ग्राम चौखडा के नामांतरण पंजी क्रं0 139 आदेश दिनांक 17-04-80 जिससे भूमि खसरा क्रं0 168 रकवा 7.17 ए0 यानि 2.903 हे0 का वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया है एवं अज्ञात प्रकरण जिसके आधार पर भूमि खसरा क्रं0 184 रकवा 8.67 ए0 का नामांतरण आवेदक क्रं0 2 व 5 के नाम स्वीकार किया गया है, से परिवेदित होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, त्यौथर के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त अपील विलंब से पेश की गई थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब स्वीकार नहीं करते हुए प्रस्तुत अपील को पारित आदेश दिनांक 02-07-16 से समयावधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया तब अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-04-18 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए माना कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक के पिता क्षेत्रपाल थे । क्षेत्रपाल न अपनी भूमि को किसी को विक्रय नहीं किया था फिर भी आवेदक क्रं0-1 मुनीसिंह ने नामांतरण पंजी क्रं0 139 आदेश दिनांक

17-04-80 में अवैधानिक रूप से नामांतरण कराया है । आवेदक क्रं0-1, अनावेदक के खानदान का नहीं है फिर भी अनावेदक के पिता का सगा भाई बनकर भूमिस्वामी को लावल्द मृत बताकर राजस्व निरीक्षक से नामांतरण पंजी में आदेश पारित कराया है, जबकि मृतक का उत्तराधिकारी अनावेदक मौजूद है । ऐसे अवैधानिक आदेश किसी भी समय अपास्त किये जा सकते है । अवैधानिक आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को म्याद के बिंदु पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है । मृत भूमिस्वामी की भूमि को उसके वारिस के नाम वारिसाना नामांतरण न करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम नामांतरण करना अपराध की श्रेणी में आता है । उक्त विवेचना के उपरांत अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि प्रश्नाधीन भूमि पर निगराकार का नामांतरण विधि सम्मत आदेश से किया गया है व इसमें गैर निगराकार द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है । निगराकार उक्त भूमि काबिज दाखिल होकर काश्त करवा रहा है । इसी प्रकार आराजी क्रं0 184 रकवा 8.67 ए0 स्थित ग्राम चौखडा पटवारी हल्का चौखडा रा0नि0मं0गढी तहसील त्यौथर जिला रीवा का भी नामांतरण निगराकार के नाम किया जाकर वर्ष 1980 से निगराकारगण काबिज दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है व गैर निगरानीकर्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है, 35 वर्ष पूर्व के नामातरण की जानकारी अनावेदक को नही होना स्वमेव त्रुटिपूर्ण है ऐसे विलंब को क्षमा न करके

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है ऐसे उचित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में निरस्त किया जाना अवैधानिक है इसलिये आवेदक द्वारा अनुरोध किया कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे व अपील स्वीकार की जावे ।

4- अनावेदक द्वारा तर्क किया कि अपर आयुक्त द्वारा विस्तृत विवेचना के उपरांत आदेश पारित किया गया है जो विधिक है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमिस्वामी के विधिक वारिस को न मानकर म्याद के बिंदु पर ही अपील को निरस्त किया जाना सर्वथा अवैधानिक है अपर आयुक्त द्वारा ऐसे अवैधानिक आदेश को निरस्त करने को कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया ।

5- उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में प्रकरण का अनुशीलन किया । उभय पक्ष के मध्य मुख्य विवाद ग्राम चौखडा तहसील त्यौथर की नामांतरण पंजी क्रं0 139 दिनांक 15-03-80 पर रा0नि0 द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 17-04-80 को लेकर विवाद है । इस पंजी के अनुसार भूमि नं0 168 रकवा 7.17 एकड आवेदकगण के नाम नामांतरित की गई है । दूसरा विवाद सर्वे क्रं0 184 रकवा 8.67 एकड के संबंध में है जिसके बारे में अनावेदक के कथनानुसार अज्ञात प्रकरण में भूमि आवेदक के नाम अंतरित कर दी गई है इन्हीं दो सर्वे नंबरों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालयों में वाद प्रचलित रहे है । नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अनावेदक के पिता छत्रपालसिंह के नाम दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उन्हैं लावल्द फौत बनाकर यह भूमि आवेदक क्रं0-1 जो अपने आपको छत्रपालसिंह के भाई के रूप में

सजरा खानदान में निरूपित करते है उनके नाम कर दी गई । अनावेदक द्वारा उसके पिता की भूमि आवेदक क्रं0-1 के नाम त्रुटिपूर्ण विधि से अंतरित किये जाने के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 02-07-16 के द्वारा उक्त अपील समयबाह्य मानकर निरस्त कर दी, जिसके विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की । मैं अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से सहमत हूं कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक के पिता छत्रपालसिंह भू अभिलेख में दर्ज थे तथा उनके वैध वारिस अनावेदक के जीवित रहते हुए उनके पिता को लावल्द फौत बताकर आवेदक क्रं0-1 के नाम कपटपूर्वक यह भूमि अंतरित की गई है इसलिये ऐसे अवैधानिक आदेश को कभी भी किसी भी परिस्थिति में निरस्त किया जा सकता है । इस प्रकार के अवैधानिक आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा-5 लिमिटेशन एक्ट के बिंदु पर ही खारिज करने में भारी भूल की गई है इस संबंध में अनावेदक द्वारा 1982 आर0एन0 417 (अधिकारितारहित आदेश होने से म्याद का प्रश्न नहीं उठता है) का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश विधिपूर्ण होने से हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है उसे स्थिर रखा जाता है फलस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है ।

इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह भी लेख किया है कि उसकी भूमि सर्वे क्रं0 184 अज्ञात प्रकरण के द्वारा आवेदक के नाम अंतरित की गई है किंतु इस संबंध में

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, इस संबंध में कलेक्टर, रीवा को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के नामांतरण के संबंध में विधिवत जांच करावें तथा आवश्यकतानुसार प्रविष्टि में संशोधन करने अथवा स्वमेव निगरानी में नियमानुसार प्रकरण को लेकर समुचित कार्रवाई करें ।

(बी0एम0शर्मा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर